प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 27.10.2024

- ❖ **अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कानपुर देहात पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही।**
- ❖ **थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अन्तर्राज्यीय अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए अभियुक्त के कब्जे से 4 कि0ग्रा0 अवैध चरस (कीमत करीब 01 लाख रुपये) व 01 अदद मोटरसाइकिल नं0 UP77AM5882 (एमवी एक्ट के तहत सीज) बरामद किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 26.10.2024 को थाना अकबरपुर पुलिस टीम अकबरपुर पुल के नीचे संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहन की चेकिंग कर रही थी कि तभी मुखबिर ने सूचना दी कि 01 व्यक्ति बुलेट मोटरसाइकिल से ग्राम वंशनपुरवा मोड़ से होते हुए दुर्वासा ऋषि आश्रम की तरफ चरस लेकर जा रहा है उक्त सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना अकबरपुर पुलिस टीम ग्राम वंशनपुरवा मोड इटावा कानपुर हाईवे के पास पहुंची तो इटावा कानपुर हाईवे से लगभग 100 मीटर अन्दर ऋषि दुर्वासा आश्रम की ओर बुलेट मोटरसाइकिल से जाते हुए 01 व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गयी तो उस व्यक्ति ने अपना नाम बांके पुत्र राधेश्याम निवासी हारामऊ थाना रुरा कानपुर देहात बताया तथा उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर 04 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुआ। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरमादगी के आधार पर थाना अकबरपुर पर मु0अ0सं0-502/2024 धारा 8/20 NDPS Act बनाम बांके पुत्र राधेश्याम निवासी हारामऊ थाना रुरा कानपुर देहात पंजीकृत किया गया। मोटरसाइकिल नं0 UP77AM5882 को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

बांके पुत्र राधेश्याम निवासी हारामऊ थाना रुरा कानपुर देहात उम्र 20 वर्ष ।

पूछंताछ विवरण..... अभियुक्त बांके पुत्र राधेश्याम निवासी हारामऊ थाना रुरा कानपुर देहात ने पूछताछ में बताया कि मैं भारत-नेपाल बॉर्डर से चरस लाकर अलग-अलग शहरों में बेच कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता हूँ। आज भी मैं यहाँ चरस बेचने के लिये आया था पता नही कैसे आप लोगों को सूचना मिल गयी और मुझे पकड़ लिया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 502/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 थाना अकबरपुर कानपुर देहात ।

बरामदगी का विवरण--- 04 किलोग्राम अवैध चरस (कीमत करीब 01 लाख रुपये) व 01 अदद मोटरसाइकिल नं0 UP77AM5882 (एमवी एक्ट के तहत सीज) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 बृजकिशोर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
2. उ0नि0 श्री देवनारायण द्विवेदी थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
3. उ0नि0 अभिषेक सिंह चौहान थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
4. का0 721 सर्वेन्द्र सिंह थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।